

06/06/24

पत्र
पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील
की ओर से ब्रिज होल्डर वकील जुगत
सिंह उपोपनिवेशके सम्मान पेश करने
के पर्याप्त अवसर दिये बावजूद पेश
नहीं किए। अतः वादीनी का वाद
Non-Complain (अपालना) में खारीज
किया जाता है। पत्रावली जैसे नुमा
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन